

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.एम.) मुकाम नावां (डीडवाना-कुचामन)

प्रार्थी/वादी

पेफसिंह

बनाम

अप्रार्थीगण/प्रतिव

उम्मेदसिंह वगैरह

किस्म प्रकरण : राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र

मुकदमा नं. 137,

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर अहक हुक्म व जा
09.02.2026	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गैर हाजिर। वकील वादी को आवाजे लगवाई परन्तु कोई पक्षकार एवं अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुये। प्रकरण दिनांक 30.02.2025 से लगातार तलबी में विचाराधीन है। वकील वादी ने प्रतिवादीगण की तलबी हेतु आदिनांक तक सम्मन पेश नहीं किये है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अधिवक्ता वादपत्र को आगे चलाने के इच्छुक नहीं है।</p> <p>अतः वादी का वाद पत्र अधीन धारा 88, 53 एक्ट 1955 प्रभावी पैरवी के अभाव में आदेश-9 नियम-5 के तहत अदम हाजरी/अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज किया जाता है।</p> <p>(दिव्या/सोनी) उपखण्ड अधिकारी नावां (डीडवाना-कुचामन)</p>	